



कार्यालय नगर निगम कोटा (राज0)

पता :- सी0ए0डी0 सर्किल, दशहरा ग्राउण्ड, कोटा

ई-मेल :- nnkota@gmail.com
revenueck@gmail.com

क्रमांक:- ननिको/राजस्व/2019/ 1680-90

दिनांक:- 20-9-19

-: निविदा सूचना :-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम कोटा द्वारा राष्ट्रीय मेला दशहरा 2019 में मेला अवधि (कार्य आदेश से दिनांक मेला अवधि समाप्ति तक) के लिये मेला प्राण में विभिन्न स्थानों पर सूची अनुसार बैलून पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु बन्द लिफाफे में निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

क्र0सं0	स्थान का विवरण	संख्या	आरक्षित दर प्रति बैलून	धरोहर राशि प्रति बैलून	आवेदन शुल्क राशि	निविदा विक्रय की दिनांक	निविदा प्राप्ति की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक
1	1. बैलून मेला परिसर में चिह्नित स्थान	16	17569	350	300	21.09.2019 से 27.09.2019 तक	28.09.2019 को 05.00 पी0एम0 तक	29.09.2019 को 03.00 पी0एम0

इच्छुक व्यक्ति/फर्म आवेदन पत्र के साथ आयकर रिटर्न 2017-18 एवं आयकर पेन कार्ड एवं आई0डी0 की छाया प्रति एवं राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित पता के साथ उपरोक्त ब्लॉकों के सामने अंकित निविदा प्रपत्र शुल्क एवं धरोहर राशि का डी0डी0 निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। निविदा प्रपत्र की प्रति, शर्तें एवं सूची नगर निगम की वेबसाइट www.kotamc.org.in एवं राजस्थान स्टेट पब्लिक पोर्टल RSPPP से डाउनलोड कर भरी हुई निविदाये जरिये रजिस्टर्ड डाक/कोरियर से दिनांक 28.09.2019 को सांय 05.00 बजे तक दशहरा मैदान स्थित राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा के ब्लॉक 'सी' के द्वितीय तल के कमरा नं0 301 में पहुंच जानी चाहिये। समयावधि के बाद प्राप्त निविदाये मान्य नहीं होगी। नगर निगम कोटा द्वारा कोई निविदा विक्रय नहीं की जावेगी।

प्राप्त निविदाओं स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रशासन नगर निगम, कोटा में निहित होगा।

अन्य शर्तें एवं जानकारी राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा के द्वितीय तल के कमरा नं0 301 राजस्व अनुभाग से कार्यालय समय में प्राप्त कर सकते हैं।

उपायुक्त एवं मेलाधिकारी
नगर निगम, कोटा
दिनांक 20-9-19

क्रमांक:- ननिको/राजस्व/मेला/2019/ 1680-90

प्रतिलिपि:-

1. महापौर महोदय, नगर निगम, कोटा।
2. उपमहापौर महोदय, नगर निगम कोटा।
3. आयुक्त महोदय, नगर निगम, कोटा।
4. नेता प्रतिपक्ष महोदय, नगर निगम कोटा।
5. अध्यक्ष महोदय, मेला एवं अन्य उत्सव आयोजन समिति/राजस्व कर वसूली समिति, नगर निगम कोटा।
6. उपायुक्त मुख्यालय/विज्ञान नगर/रामपुरा जोन, नगर निगम कोटा।
7. मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम, कोटा।
8. पुस्तकालयाध्यक्ष नगर निगम, कोटा को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को एक राज्य स्तरीय एवं एक क्षेत्रीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराकर समाचार पत्र की प्रति भिजवायें।
9. ओसवाल डाटा प्रोसेस नगर निगम कोटा को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को नगर निगम की वेब साइट पर डालने का श्रम करें।
10. स्मार्टराज प्रोजेक्ट नगर निगम कोटा को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को राजस्थान स्टेट पब्लिक पोर्टल RSPPP पर डालने का श्रम करें।
11. गार्ड फाईल।

उपायुक्त एवं मेलाधिकारी
नगर निगम, कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा (राजस्थान)

राष्ट्रीय मेला दशहरा 2019 की अवधि के लिये मेला परिसर में बैलून की निविदा शर्तें:

1. यह ठेका राष्ट्रीय मेला दशहरा 2019 अवधि (कार्य आदेश से मेला अवधि समाप्ति तक) के लिये मान्य होगा।
2. मेला समाप्ति के तुरन्त बाद अन्दर तीन योम में बैलून को अपने स्तर पर हटाया जाना आवश्यक होगा।
3. समयावधि गुजरने के बाद निगम द्वारा हटाकर जप्त कर लिये जायेंगे, जिसके हर्जे खर्चे की वसूली संवेदक की जायेगी। इसमें किसी भी प्रकार का उज्र मान्य नहीं होगा।
4. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त 1/4 राशि उच्चतम बोलीदाता को अन्दर 24 घन्टे में जमा करानी होगी तथा शेष 3/4 राशि तीन दिवस के अन्दर निगम कोष में जमा करानी होगी, अन्यथा संवेदक द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि एवं जमा 1/4 राशि जप्त कर पुनः निलामी की कार्यवाही की जावेगी।
5. स्वीकृत निविदादाता को बैलून स्वयं के खर्चे पर लगाना होगा।
6. बैलून पर अश्लील विज्ञापन, सिगरेट, शराब, तम्बाकू व नशा सम्बन्धि विज्ञापन करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा।
7. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रशासन नगर निगम कोटा में निहित होगा।
8. निगम वेब साइट एवं राजस्थान स्टेट पब्लिक पोर्टल RSPPP से डाउनलोड करने वाले संवेदक निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क एवं निविदा धरोहर राशि का डी0डी0 आयुक्त नगर निगम कोटा नाम संलग्न करना आवश्यक होगा। इसके अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी।
9. किसी भी प्रकार की आपदा में बैलून के गिरने से होने वाली दुर्घटना/क्षति के लिये स्वयं संवेदक उत्तरदायित्व होगा। गिरे हुये बैलून को चार घन्टे में हटाने का उत्तरदायित्व स्वयं संवेदक का होगा। समयावधि गुजरने के बाद निगम द्वारा हटाये जाने पर हर्जे खर्चे की वसूली निगम द्वारा की जावेगी।
10. किसी प्रकार की विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र कोटा होगा।
11. अन्य शर्तें व उपकर सामान्य वित लेखा नियम एवं नगर पालिका क्रय नियमों से शासित होगा।
12. नगर निगम का बकायादार फर्म/व्यक्ति/संस्था निविदा में भाग नहीं ले सकेगा।
13. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

20.5.19 -
उपायुक्त एवं मेलाधिकारी

नगर निगम कोटा

कार्यालय नगर निगम कोटा (राज0)

राष्ट्रीय दशहरा मेला 2019 मेला अवधि के लिये मेला प्रांगण में 16 बैलून लगाने की प्रस्तावित स्थानों की सूची

मेला प्रांगण में बैलून

1.	नवीन प्रशासनिक भवन के सामने मैदान में	—	01
2.	फूड कोर्ट के खाली बीच की भूमि पर	—	01
3.	चौपाल के पास कच्चे मैदान में	—	01
4.	अम्बेडर भवन (सीएडी सर्किल स्थित) मैदान में	—	01
5.	नगर निगम राजीव गांधी भवन के मुख्य द्वार के पास (गेट नं.4)	—	01
6.	धार के बालाजी के पास	—	01
7.	ईस्ट जोन में (ग्रीन पार्क) के अंदर	—	01
8.	निगम बाउन्ड्री के पास तीन चिंहित स्थानों पर	—	03
9.	अंटाघर चौराहा	—	01
10.	ऐरोझाम चौराहा	—	01
11.	घटोत्कच चौराहा	—	01
12.	गोबरिया बावडी चौराहा	—	01
13.	विवेकानन्द चौराहा (नयापुरा)	—	01
14.	<u>स्टेशन पुस्तकालय</u>	—	01
	कुल	—	16